

ग्राम वन्य योजना (वी.ए.पी.)



जल सन्धी उन सभी प्रतिष्ठानों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एम.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 07/4/24
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 07/4/24
 वी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: 07/4/24

2. ग्राम का नाम: वर्दीनिया
 ग्राम पंचायत का नाम: वर्दीनिया
 ब्लॉक का नाम: बी.इ.गाँव
 जिला का नाम: बिहार
 राज्य का नाम: उ.प्र.
 ग्राम जनसंख्या कोड: _____

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

- ग्राम पंचायत संकल्प
- ग्राम समुदाय की आकांक्षा : 02 (संख्या) मवेशी कुंजे को और 02 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 40 घंटे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल.पी.सी.टी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक ~~सभी~~ ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना
 हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत:ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकासों को सम्भाल करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सड़कित नहीं करेंगे। हम अपने मंदा जल की व्यवस्था करेंगे और अपने गीठे पानी को बचाएंगे।
 यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का 10% प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।
- पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
- कौन सी समिति गैर में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी? (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पेय जल एवं स्वच्छता समिति, वर्दीनिया
 समिति को क्या कहा जाता है: पेय जल एवं स्वच्छता समिति
 अध्यक्ष का नाम: परगीन
 जिला: गडवा
 आयु: _____

सदस्य का नाम _____ जिला _____ आयु _____

_____ अधिकारी

III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार :

जनसंख्या 853
 परिवारों की संख्या: 120
 महिलाओं की संख्या: 455
 पुरुषों की संख्या 398
 बच्चों की संख्या 156
 एक.एच.टी.सी. की संख्या _____

वर्तमान पंचायत आगजवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या 938
 परिवारों की संख्या: 132
 महिलाओं की संख्या: 500
 पुरुषों की संख्या 437
 बच्चों की संख्या 131
 एक.एच.टी.सी. की संख्या _____

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
 -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि) _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना		✓
धान	✓	
मक्का	✓	
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): _____

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): _____

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ /नहीं)
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ /नहीं)
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एक.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सौख्यता मजूरी की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल	नहीं	हाँ	हाँ
2.	आगजवाड़ी			
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	नहीं	हाँ	हाँ
4.	ग्राम पंचायत भवन	नहीं	हाँ	हाँ
5.	अन्य	नहीं	हाँ	हाँ

TH

22/11/2011

पानी की कुछ दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वार्षिक आवश्यकता - जनसंख्या X दर 295.33 के एल.टी.
 महिलाओं के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता 8.41 के एल.टी.
 महिला कुलों की आवश्यक संख्या _____
 सड़कदाई धरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 348.56 के एल.टी.
 अंतिम धरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 389.91 के एल.टी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखे/सूनाई/घात/वात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति नहीं पश्चात् जब सुदृढ़ित कठोर/बल द्वारा पूर्ण
 17. आपदाकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टर्किंग, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
 18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आर्थिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
 19. जन जनित रोगों का इतिवृत्त: रूहेमा, लिडगी, डायरिया, बुखार, ज्वर, चिकीया।

पानी की गुणवत्ता


20. फील्ड परीक्षण किए / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जन गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तरीके: _____
 21. लैबोरी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तरीके: _____
 22. जन आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता, स्रोत का नाम (अवस्थिति): _____

मापदंड	तरीका	परिणाम
मदनी	दृश्य तुलना	1.86
पीएच	पपी रंग तुलना	7.84
पूर्ण खवणता	टिट्रोमेट्रिक विधि	2.76
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रोमेट्रिक विधि	3.29
क्लोराइड	टिट्रोमेट्रिक विधि	17.02
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
क्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हीटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह सभाबना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
-----------------	----------------	-------


 अधिकारी
 12/1/84

स्रोत स्थापित

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरेवेल विचारें संभवतः हैं? (हाँ/नहीं)
25. गाँव में उन मौजूदा जल स्रोतों की सूची जिनका उपयोग/पर्याप्तता बढ़ाई जा सकती है, तैयार करें।

26. उपर्युक्त स्रोतों से जल आपूर्ति का 65% 193.00 के.एच.टी. अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या 14 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है 23 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या _____ क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं) हाँ यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है? हाँ यदि नहीं, तो स्रोतों के प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एक एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:
- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
 - पूर्ण हो चुके एन.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
 - निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर स्थानीय या घरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
 - सौधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.
 - वाटर सिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
 - मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं
28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: श्रीगुदा लक्ष्मी नदी तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: श्री चर्चा ग्राम पंचायत में श्री गरी इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पंचायत बंदा लक्ष्मी वह तरीका, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____ योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: 50% राज्य का हिस्सा: 50% समुदाय का हिस्सा: 10% व्यक्तिगत घरेलू उपयोग: _____ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू आर्थिक जल शुल्क प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूसरा बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेज़-जोड़

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि विधि मेज़-जोड़ संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के परस्पर मेज़े जुड़े हैं।)

29. योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित विधि
सोखता गड्ढों का निर्माण	ग्राम प्रदाया	केन्द्र/राज्य सरकार	निर्माण विभाग आदि।
सोखता गड्ढों का निर्माण - सामुदायिक (एन.आर.डी.पी.)	पंचायत और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति विभाग	केन्द्र/राज्य सरकार - सामुदायिक, अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।	सामुदायिक स्वच्छता प्रदाया (एन.आर.डी.पी.)
एन.आर.डी.पी. (एन.आर.डी.पी.)	सामुदायिक स्वच्छता विभाग	सामुदायिक स्वच्छता प्रदाया (एन.आर.डी.पी.)	घरों के तहत छोटी जल संचयन गतिविधियाँ

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	समाविष्ट गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित तिथि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एस.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन आर.डब्ल्यू.एस.पी. कृषिम फुल्लेवण, जल संचयनी का निर्माण (सूक्ष्म आदि)	नहीं
जल भंडारी की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विकास और जमा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	*
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	नहीं
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक क्षमता वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म सिंचाई का प्रस्ताव, एकीकृत से जल की निकासी को कम करने के लिए	*
क्षतिपूर्क नवीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	नदीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण, वाटरशेड विकास, आदि।	नहीं
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) समय शिक्षा	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	*
असकंधी जिला कार्यक्रम	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	नहीं
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ)	नौति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन ज़िम्मेदारियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	*
एम.पी.एल.ए.डी.	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	नहीं
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.डी.एस.पी.आई.)	अंतर-ग्राम अवसंरचना	*
संसदीय के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	राज्य	अंतर-ग्राम अवसंरचना	*
दण्डादा/प्रायोजक	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर-ग्राम अवसंरचना	*

PC

जिला
जल संसाधन अधिकारी

2023/24

